जंगलों के रखरखाव के संदर्भ में कैहड़गाँव ग्राम पंचायत के स्थानीय लोगों, महिलाओं एवं स्थानीय सरकार की सहभागिता का अध्ययन

'प्रियंका विश्वकर्मा*, प्रो0 नीता बोरा शर्मा**

सारांश

उत्तराखण्ड के कुल क्षेत्रफल के 71.05 प्रतिशत भाग पर वन विद्यमान है। ये वन न केवल राज्य वरन् देश को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में अतुलनीय लाभ प्रदान करते हैं। लेकिन पिछले एक दशक से उत्तराखण्ड के वनों में लगने वाली आग के मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गयी है। उत्तराखण्ड वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अकेले वर्ष 2019 में राज्य की 3,399 हैक्टेयर भूमि वनाग्नि की चपेट में आयी। वर्ष के शुरूआत से अंत तक राज्य के अलग–अलग हिस्सों से आग लगने के करीब 1,500 मामले दर्ज किये गये। इससे राज्य को 63.40 लाख का नुकसान उठाना पड़ा है। अल्मोड़ा वनाग्नि की दृष्टि से पौड़ी गढ़वाल के बाद दूसरा सबसे संवेदनशील जिला है। जिले में वर्ष 2019 में वनाग्नि के 186 मामले दर्ज किये गये।

प्रस्तुत शोध पत्र में हमारे अध्ययन का क्षेत्र अल्मोड़ा जिले के स्याल्दे ब्लॉक की कैहड़गाँव ग्राम पंचायत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या 686 है, लेकिन 2019 की स्थानीय सरकार के चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 486 है, जिसमें से हमारे अध्ययन का प्रतिदर्श लिया गया है। कैहड़गाँव ग्राम पंचायत के अंतर्गत छोटे–छोटे लगभग 20 गाँव सम्मिलित हैं। इनमें से अधिकांश गाँव जंगल के बीचों बीच बसे हैं। शोध अध्ययन हेतु कैहड़गाँव ग्राम पंचायत को चुनने का मुख्य कारण इस क्षेत्र का वनाग्नि से बहुत अधिक प्रभावित रहना है।

प्रस्तुत शोध पत्र में समस्या को प्रत्यक्षतः जानने हेतु प्राथमिक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। जंगलों के रख–रखाव एवं संरक्षण में स्थानीय लोग, महिलाऐं एवं स्थानीय सरकारें किस प्रकार सहभागी हैं, इसका विश्लेषण शोध पत्र के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द – क्षेत्रफल, उत्तराखण्ड वन विभाग, वनाग्नि, ग्राम पंचायत, स्थानीय लोग, स्थानीय सरकार।

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड भारतीय हिमालय भूक्षेत्र के उन 11 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश (अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम एवं त्रिपुरा) में से एक है जो लम्बे समय से केन्द्र सरकार से 'ग्रीन बोनस' की माँग कर रहे हैं। ग्रीन बोनस की माँग का जो सबसे प्रमुख आधार है वह है–उत्तराखण्ड के वन। राज्य के 71.05 प्रतिशत भूमि पर वन विद्यमान हैं। ये वन मैदानी राज्यों से पैदा होने वाले प्रदूषण को सोख लेते हैं और न केवल राज्य वरन् सम्पूर्ण देश के पर्यावरण संरक्षण के मुख्य कारक के रुप में कार्य करते हैं। राज्य के इस योगदान के लिये उसे केन्द्र सरकार की तरफ से टैक्स में छूट दी जाती है लेकिन यह एक अस्थायी लाभ है। राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिये 'ग्रीन बोनस' के रुप में स्थायी लाभ चाहता है। एक आँकलन के आधार पर राज्य की 'ग्रीन बोनस' की कुल माँग करीब 1.95 लाख करोड़ बन रही है।

लेकिन दूसरी तरफ पिछले एक दशक से उत्तराखण्ड के वनों में लगने वाली आग के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। उत्तराखण्ड वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष तीन हजार हेक्टेयर से भी अधिक मात्रा में वन जल रहे हैं। जिसके कारण राज्य का कुल वनक्षेत्र लगातार घटता जा रहा है। ऐसे में क्या राज्य को 'ग्रीन बोनस' जैसी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। वनों का इस तरह नष्ट होना राज्य के लिये बहुत बड़ी क्षति का प्रश्न है। राज्य सरकार को वनों से प्रतिवर्ष लगभग 350 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है।

अल्मोड़ा वर्ष 2019 में वनाग्नि से सर्वाधिक प्रभावित रहने वाला जिला है। जिले में वर्षभर में आग लगने के कुल 186 मामले दर्ज किये गए जबकि इसकी सर्वाधिक 515 हेक्टेयर भूमि वनाग्नि से क्षतिग्रस्त हुई। अल्मोड़ा जिला कुल 9

* शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान, डी0एस0बी0 परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
** प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

तहसीलों एवं ग्यारह ब्लॉकों में विभाजित है। हमारे अध्ययन का क्षेत्र स्याल्दे ब्लॉक की कैहड़गाँव ग्राम पंचायत है, जिसके अन्तर्गत छोटे–छोटे लगभग 20 गाँव सम्मिलित हैं। हाल ही में हुए पंचायत चुनावों के अनुसार यहाँ पर विद्यमान कुल मतदाताओं की संख्या 486 है जिसमें 57.1 फीसदी महिलाएँ शामिल हैं। यहाँ पर ऐसे घर जिनमें गिने चुने लोग रह रहे हैं, की संख्या लगभग 200 है। कैहड़गाँव ग्राम पंचायत एक ऐसा क्षेत्र है जो वनाग्नि से बहुत अधिक प्रभावित रहता है। सभी गाँव जंगल के आसपास या बीचों बीच बसे हैं। ऐसे में जंगलों से लोगों का जनजीवन कैसे प्रभावित होता है, वनाग्नि से उन्हें किन्–किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आदि का विश्लेषण करने का प्रयास शोध–पत्र के माध्यम से किया गया है।

उद्देश्य

- कैहड़गाँव क्षेत्र के जंगलों में वनाग्नि के कारणों को जानना।
- जंगलों पर स्थानीय लोगों की निर्भरता को जानना।
- जंगलों के रखरखाव एवं संरक्षण में स्थानीय लोगों, महिलाओं और स्थानीय सरकारों की भागीदारी को जानना।
- जंगलों की महत्ता एवं उपयोगिता के बारे में लोगों की जागरूकता को जानना।
- वनाग्नि से लोगों के जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को जानना।

पद्धति

शोध पद्धति : विश्लेषणात्मक पद्धति – शोध पत्र के गठन हेतु विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।
शोध पत्र के माध्यम से चयनित क्षेत्र में वनाग्नि के कारणों, प्रभावों, स्थानीय लोगों एवं महिलाओं की जंगलों पर निर्भरता तथा स्थानीय सरकार द्वारा जंगलों को बचाने के लिये बनायी गयी नीतियों आदि का एक संक्षिप्त विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

तथ्यों के आधार : प्राथमिक दत्त – शोध अध्ययन हेतु प्राथमिक आधार सामग्री का प्रयोग किया गया है। तथ्यों के एकत्रीकरण हेतु 'साक्षात्कार विधि' का प्रयोग किया गया है। इसके लिये चयनित क्षेत्र के वयस्क महिला–पुरुषों का साक्षात्कार लिया गया है।

प्रतिदर्श पद्धति : सोद्देश्य निदर्शन – समस्या के बारे में पूर्व से ही थोड़ा–बहुत अवगत होने के कारण उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है। आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु विशेषकर उन लोगों को शामिल करने का प्रयास किया गया है जो जंगलों के सर्वाधिक निकट बसे हुए हैं और वनाग्नि से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं।

साहित्यिक समीक्षा

सर्वोच्च न्यायालय में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की वकील रितुपर्णा उनियाल द्वारा एक याचिका दायर की गयी जिसमें उन्होंने शीर्ष अदालत से उत्तराखण्ड के जंगलों में लगने वाली आग से जंगलों, जंगली पशु–पक्षियों को बचाने के लिये त्वरित एवं सख्त कदम उठाने की गुहार लगायी। याचिका में उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों से लोग सामाजिक और पर्यावरणीय तौर पर जुड़े हुए हैं। जंगल राज्य के आर्थिक हित एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन बीते वर्षो में वनाग्नि के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एवं बी0 आर0 गवई की पीठ ने कहा कि उक्त समस्या पर उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय बेहतर सुझाव दे सकता है। शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा वनाग्नि के सन्दर्भ में पूर्व में जारी किये गए निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की। अदालत ने राज्य न्यायालय को वनाग्नि की समस्या से निपटने के लिये बेहतर नीतियाँ बनाने और उनको व्यवहारिक स्तर पर लागू करने के निर्देश दिये।(PTI, 2019)

हिमाच्छादित चोटियाँ, वन, नदियाँ, झीलें और झरने उत्तराखण्ड समेत 11 हिमालयी राज्यों की ताकत और आकर्षण हैं। लेकिन यही ताकत उनकी तरक्की की राह में एक बड़ी चुनौती भी है। अर्थात् इतने वृहद मात्रा में जंगलों से घिरे होने के कारण राज्य के पास विकास परियोजनाओं के लिये भूमि बहुत सीमित है। राजस्व विभाग के भू–रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदेश में महज 12 फीसदी भूमि ऐसी है जिस पर विशुद्ध रुप से खेती होती है। पर्वतीय राज्य पर्यावरण संरक्षण के दायित्व की पूर्ति के लिये बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। जंगलों, नदियों, झीलों और झरनों की हिफाजत करते हुए तरक्की की राह चुनने के लिये विकास के अलग मॉडल की आवश्यकता है और यह तभी संभव है जब केन्द्र सरकार उदार मन से वित्तीय सहायता

प्रदान करे। इस सहायता के लिये राज्य 'ग्रीन बोनस' की माँग कर रहा है। उत्तराखण्ड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने 'पर्यावरणीय सेवा फ्लो' का आंकलन कर 'ग्रीन बोनस' का पुख्ता आधार तैयार किया है। केन्द्र सरकार 'ग्रीन बोनस' दो तरह से दे सकती है– पहला, विशेष अनुदान के रुप में और दूसरा अधिमान के रुप में। केन्द्र सरकार राज्यों के लिये अपनी योजनाओं में लचीलापन लाए। 14 वें वित्त आयोग ने 7.5 फीसदी अधिमान दिया था। 15 वें वित्त आयोग में इस अधिमान में और वृद्धि हो। (खण्डूरी, 2019)

वनाग्नि काल (फरवरी–जून) में इस वर्ष अब तक (मई, 2018) राज्य की लगभग 898 हेक्टेयर भूमि जलकर राख हो चुकी है और 542 घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की गयी है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वनाग्नि से निपटने के उनके प्रयास साधनों की अनुपलब्धता के कारण विफल हो रहे हैं। प्रभावित लोग प्रशासन की लापरवाही और सुस्त रवैये की शिकायत कर रहे हैं। वन विभाग द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार जहाँ अब तक वनाग्नि के 171 मामलों की रिपोर्ट कुमाऊँ मण्डल में दर्ज की गयी है वहीं 371 मामले गढ़वाल मण्डल में दर्ज किये गए हैं। 'ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच' के आँकड़ों के अनुसार 13–20 मई के बीच पौड़ी गढ़वाल ऐसा जिला रहा जिसमें न केवल राज्य में वरन् पूरे देश में वनाग्नि की सर्वाधिक चेतावनियाँ जारी की गयीं। सभी आरोप–प्रत्यारोपों के बीच वनाग्नि से कैसे निपटा जाए यह बड़ी समस्या है। (DTE, 2018)

उत्तराखण्ड के जंगलों में आग कुदरत की बजाय इंसानी हरकतें ज्यादा हैं। जंगलों के जलने से उपजाऊ मिट्टी का कटाव तेजी से होता है साथ ही जल संभरण का काम भी प्रभावित होता है। वन विभाग के मनमानेपन से यह संकट और गहरा गया है। राज्य की राजधानी देहरादून में देश का 'वन अनुसंधान संस्थान' है। इसके बावजूद वन विभाग के पास वनों में लगने वाली आग के बारे में न तो तर्कसम्मत जवाब है और न ही वनाग्नि की रोकथाम की कोई ठोस कार्ययोजना है। नतीजा यह होता है कि हर साल जंगलों की आग तभी शान्त होती है जब मानसून पूर्व बरसात की फुहार धरती पर पड़ती है। दूसरी तरफ सवाल वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी का भी है। वन संरक्षक बताते हैं कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वन विभाग जितनी धनराशि की माँग करता है उसका 10 प्रतिशत भी उपलब्ध नहीं होता। दूसरी तरफ जंगलों की आग को बुझाने में पर्याप्त सामुदायिक सहयोग वन विभाग के अधिकारियों को नहीं मिलता। निष्कर्ष यह है कि आग के कारणों और उससे होने वाली लाभ हानि की बहस तब तक नहीं रुक सकती जब तक वनाग्नि पर ठोस शोधपरक कार्य न हो और उसे रोकने के लिये समन्वित प्रयास न किये जाएं। (रावत, 2012)

भारतीय हिमालय भूभाग (आईएचआर) के 11 राज्य रविवार (28 जुलाई, 2019) को केन्द्र सरकार के समक्ष पर्यावरण संरक्षण में अपने योगदान के लिये 'ग्रीन बोनस' की माँग को एक स्वर में उठाने के लिये मसूरी में एकत्रित हुए। उन्होंने केन्द्र सरकार से क्षेत्र के लिए एक समर्पित मन्त्रालय के गठन की माँग भी की। यह पहली बार था जब सभी हिमालयी राज्य अपनी समान समस्याओं पर विचार–विमर्श के लिए एक मंच पर एकत्रित हुए। इस विशेष कार्यक्रम को 'हिमालयी राज्यों की सभा' नाम दिया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त–मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गयी। सभा को सम्बोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि ये राज्य देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं इसलिए इनका विकास सरकार की प्राथमिकता है। पलायन की समस्या पर चिन्ता जताते हुए उन्होंने कहा कि इसे रोका जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में पंचायती राज संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। सभा में जल शक्ति, आपदा प्रबन्धन और पर्यावरणीय प्रभावों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। हिमालयी राज्यों की सहायता एवं विकास के लिये केन्द्र सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किये जाने का आश्वासन दिया गया। (Sinha, 2019)

आँकड़ों का विश्लेषण

शोध अध्ययन हेतु अल्मोड़ा जिले की स्याल्दे ब्लॉक की कैहड़गाँव ग्राम पंचायत को चुना गया है। इसके भीतर निवास करने वाले लोगों की कुल जनसंख्या 686 है, लेकिन 2019 की स्थानीय सरकार के चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 486 है, जिसमें से प्रतिदर्शन हेतु 60 लोगों का साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के आधार पर जो आँकड़े प्राप्त हुए उनका विश्लेषण इस प्रकार है –

उत्तरदाताओं की आयु : शोध अध्ययन के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वाले उत्तरदाताओं को चुना गया है। इसके पीछे कारण यह है कि ऐसे लोगों ने जंगलों में, अपने घरों के आसपास लगी हुई आग को कई बार देखा है और उससे होने वाले नुकसान का विश्लेषण भी किया है। चूँकि यह क्षेत्र पलायन से प्रभावित है इसलिए कुल 60 उत्तरदाताओं में से 46 महिलाएँ हैं केवल 14 पुरुष हैं। गाँवों में मुख्यतः वही लोग रह रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या वे बुजुर्ग हैं।

Figure 1

घर में लगातार रहने वाले सदस्यों की संख्या

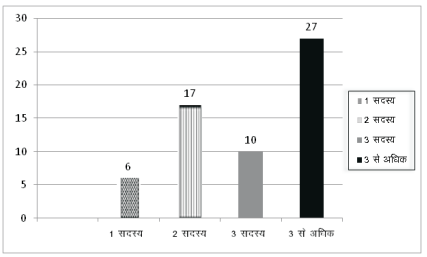

Fig 1: उपरोक्त रेखाचित्र के माध्यम से घर में लगातार रहने वाले सदस्यों की संख्या दर्शायी गयी है। ये वे लोग हैं जो नौकरी, व्यवसाय आदि में संलिप्त नहीं हैं या गाँव में ही कार्य करते हैं। ये लोग हर मौसम एवं परिस्थिति में इन्हीं जंगलों के बीच बसे हुए अपने घरों में रहते हैं। रेखाचित्र से स्पष्ट है कि 60 में से 6 (1.0%) लोग अपने घरों में अकेले रहते हैं। इनमें अधिकांश बुजुर्ग महिलाएँ शामिल हैं। 17 (28.33%) लोगों के घर में 2 सदस्य रहते हैं। 10 (16%) लोगों के घर में 3 सदस्य रहते हैं और 27 (45%) लोगों के घर में 3 से ज्यादा लोग रहते हैं। जिन घरों में तीन या तीन से अधिक सदस्य मौजूद हैं उनमें लगभग तीन पीढ़ियाँ शामिल हैं जिनमें अधिकांश नाबालिग बच्चे एवं महिलाएँ हैं। अतः स्पष्ट है कि वनाग्नि से निपटने के लिए बहुत कम लोग घरों में मौजूद हैं।

Figure 2

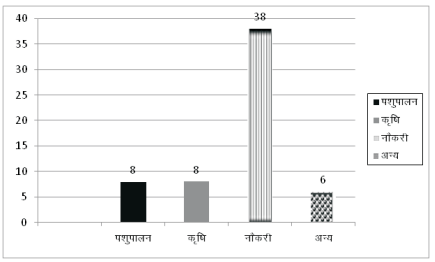

Fig 2: उपरोक्त रेखाचित्र ग्रामीणों की आय के स्रोतों को दर्शाता है। चूँकि लक्ष्यित जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में जंगलों के पास बसी है इसलिए सभी कार्य कर सकने वाले लोग पशुपालन करते हैं। पशु के चारे आदि के लिये कृषि भी अनिवार्य है इसलिए कृषि कार्य भी करते हैं। रेखाचित्र से स्पष्ट है कि 60 लोगों में से 8 (7.5%) लोगों की आय का मुख्य स्रोत पशुपालन है। 8 (7.5%) लोगों की आय का मुख्य स्रोत कृषि है। 38 (57-89%) लोगों की आय का मुख्य स्रोत नौकरी है, जबकि 6 (1.0%) लोगों की आय का मुख्य स्रोत वृद्धावस्था पेन्शन, विधवा पेंशन आदि है। नौकरी करने वाले कुल 38 लोगों में से 5 सरकारी एवं 33 निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं।

Figure 3

आय की स्थिति

(आय : हजार में)

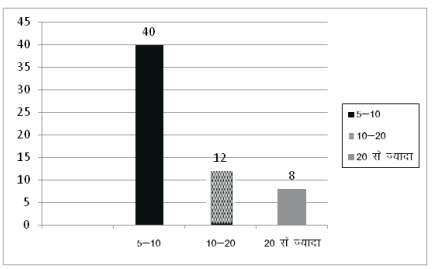

Fig 3: उपरोक्त रेखाचित्र लोगों को प्रतिमाह मिलने वाले वेतन की स्थिति को दर्शाता है। लोगों से जब उनकी आय के बारे में

पूछा गया तो जितने भी लोग उस परिवार में रहते हैं उन लोगों का भरण पोषण घर से कुछ दूर शहरों में नौकरी करने वाले पुरुषों द्वारा होता है। इसमें कुछ वह आय भी सम्मिलित है जो पशु पालन और कृषि से घर में रह रहे सदस्यों को प्राप्त हो जाती है। कुल 60 लोगों में से 40 (66.66%) लोगों के घर की मासिक आय 5,000–10,000 के बीच है। 12 (20%) लोगों की आय 10,000–20,000 के बीच है, जबकि 8 (13.33%) लोगों की आय 20,000 से ज्यादा है। अतः स्पष्ट है कि लोग या तो निम्न मध्यवर्गीय हैं या गरीब है।

Figure 4
पाले जाने वाले जानवर

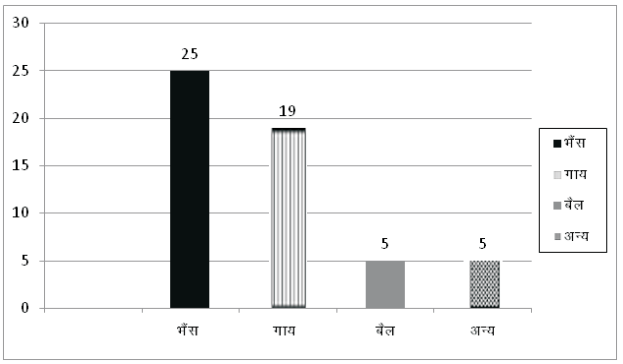

Fig 4: उपरोक्त रेखाचित्र अध्ययन क्षेत्र के भीतर लोगों द्वारा मुख्य रुप से पाले जाने वाले पशुओं की स्थिति को दर्शाता है। इससे यह जानने का प्रयास किया गया है कि जानवरों को क्यों पाला जाता है। क्या ये केवल घरेलू उपयोग के लिये हैं या अन्य भी कोई कारण है। 60 में से 6 (1.0%) लोग कोई भी जानवर नहीं पालते हैं। उनके अलावा जो 54 लोग जानवर पालते हैं उनमें से अधिकांश 27 (45%) लोग भैंस पालते हैं। 22 (40.74%) लोग गाय पालते हैं। 5 (0.92%) लोग बैल पालते हैं तथा 5 (0.92%) लोग अन्य जानवर जैसे, घोड़े पालते हैं। गाय एवं भैंस विशेषतः दूध, दही की घरेलू आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पाले जाते हैं। कुछ लोग दूध–घी बेचते भी हैं। बैल खेतों को जोतने के लिये पाले जाते हैं जबकि घोड़े मजदूरी के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जिन घरों में घोड़े पाले जाते हैं उनकी आय का स्रोत ये घोड़े ही हैं।

Figure 5
चारे की व्यवस्था

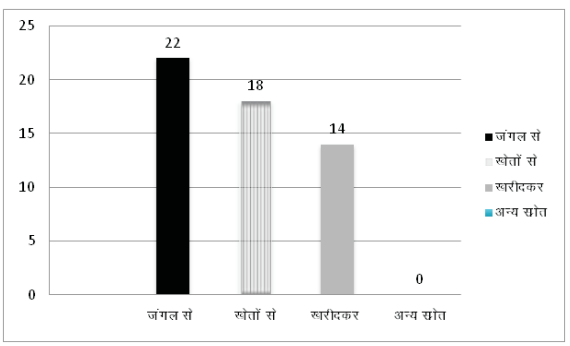

Fig 5: उपरोक्त रेखाचित्र के माध्यम से लोगों की चारे के लिये जंगलों पर निर्भरता को जानने का प्रयास किया गया है। रेखाचित्र से स्पष्ट है कि पशुपालन करने वाले 54 लोगों में से 22 (40.74%) लोग चारे के लिये जंगलों पर निर्भर हैं। 18 (33.33%) लोगों का कहना है कि अब जंगलों में सूखी किस्म की घास मिलती है इसलिए वे आसपास के खेतों की घास को ही चारे के रुप में उपयोग करते हैं। 14 (25.92%) लोगों ने बताया कि उनको घास खरीदनी पड़ती है क्योंकि वनाग्नि से घास जल जाती है और खेतों में इतनी घास उग नहीं पाती कि उसे जमा करके रखा जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि खरीदी हुई घास के दाम बहुत मंहगे होते हैं इसलिए वे सालों तक कर्ज में डूबे रहते हैं।

Figure 6
जंगलों की उपयोगिता

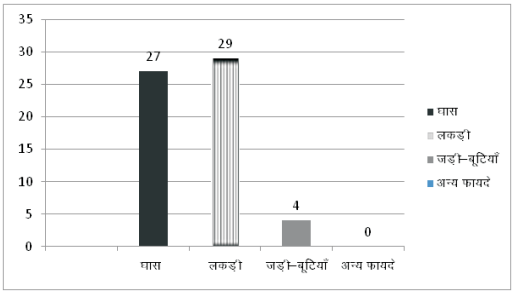

Fig 6: उपरोक्त रेखाचित्र के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि लोगों को जंगल से क्या–क्या चीजें मिलती हैं अर्थात जंगल उन्हें किस प्रकार फायदा पहुँचाते हैं। 60 में से 27 (45%) लोग जंगलों से चारे के रुप में घास प्राप्त करते हैं। 29 (48.33%) लोग जलावन के लिये लकड़ी प्राप्त करते हैं 4 (6.66%) लोगों का कहना है कि वे जंगलों से कभी–कभार जड़ी–बूटियाँ लेकर आते हैं जो साधारण रोगों के उपचार के लिये दवा का काम करती हैं। इन औषधीय जड़ी–बूटियों की जानकारी केवल बुजुर्गों को है। नई पीढ़ी इस बारे में अनभिज्ञ है। दूर–दराज के गाँवों में गैस–चूल्हा पहुँचने के कारण लकड़ियों का प्रयोग भी सीमित हो गया है।

Figure 7
वनाग्नि का समय

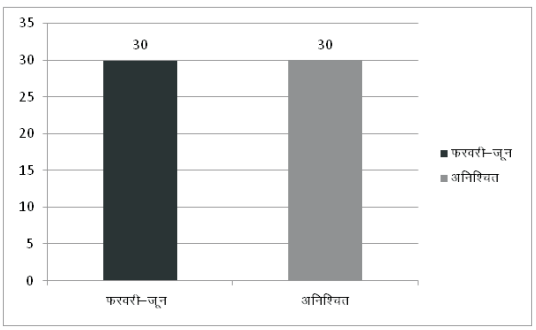

Fig 7: उपरोक्त रेखाचित्र लक्ष्यित क्षेत्र के जंगलों में आग लगने की कालावधि को दर्शाता है। इससे यह जानने का प्रयास किया गया कि आग लगाने की योजना पूर्व निर्धारित होती है या ऐसे ही बेवजह लगा दी जाती है। उत्तर में 60 में से 30 (50%) लोगों का कहना है कि आग वनाग्नि काल (फरवरी–जून) में लगती है। दूसरी तरफ 30 (50%) लोगों का कहना है कि आग लगने का कोई समय निश्चित नहीं है कभी–कभार आग जनवरी में या अक्टूबर–नवंबर में भी लग जाती है।

Figure 8
वनाग्नि के कारण

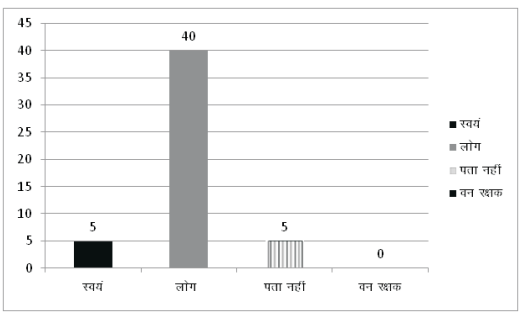

Fig 8 : उपरोक्त रेखाचित्र लोगों द्वारा बताए गए वनाग्नि के कारणों को दर्शाता है। कुल 60 में से 15 (25%) उत्तरदाताओं ने कहा कि जंगलों में आग स्वयं लग जाती है। ऐसा अक्सर पत्थरों के आपस में टकराने से पैदा हुई चिंगारियों से या दूर किसी अन्य जगह लगी आग के हवा में उड़कर आने से होता है। एक उत्तरदाता ने यह भी बताया कि कई बार बिजली के खंभे, जो जंगलों के आसपास लगे होते हैं उनके तारों में शॉर्ट–सर्किट से भी आग लग जाती है। 40 (66.66%) उत्तरदाताओं ने कहा कि आग स्वयं नहीं लगती बल्कि लोगों द्वारा लगायी जाती है। आग लगने का सबसे मुख्य कारण जंगलों से गुजरते हुए लोगों द्वारा बीड़ी–सिगरेट पीकर उसे लापरवाही से फेंकना है जिससे सूखी घास के सम्पर्क में आकर आग भयंकर रुप धारण कर लेती है। दूसरी तरफ यह जंगल पूर्ण रुप से चीड़ का जंगल है। चीड़ की पत्तियाँ (पिरुल) जब सूखकर गिर जाती हैं और आग के सम्पर्क में आती है तब इनकी आग को बुझा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि कभी–कभार बिगड़ैल बच्चे खेल–खेल में आग लगा देते हैं। 5 (0.83%) लोगों ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि आग कैसे लग जाती है क्योंकि उन्होंने कभी किसी को आग लगाते हुए देखा नहीं।

जब लोगों से इस क्षेत्र में वन विभाग की सक्रियता के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से जंगल की निगरानी के लिये कोई वनकर्मी तैनात नहीं है। सालों पहले वन विभाग अपना पतरोल (वनरक्षक) नियुक्त करते थे। उसके बाद कुछ स्थानीय लोग इस कार्य के लिये अस्थायी तौर पर नियुक्त किये गए। लेकिन अब वे भी कार्यरत नहीं है। आग लगने के बारे में उन्होंने बताया कि जब तक वनरक्षक कार्यरत थे तब तक एक निश्चित क्षेत्र में आग लगायी जाती थी ताकि नयी घास उग सके लेकिन अब ऐसा नहीं है।

वनाग्नि का प्रभाव : उत्तरदाताओं ने बताया कि जंगल में आग लगने से गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है। चारों तरफ दमघोंटू धुँआ फैल जाता है। घास की जड़े तक जल जाती हैं जिससे उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है। पेड़ जल जाते हैं। आग घरों और गौशालाओं के पास पहुँच जाती है जिससे जान–माल की अत्यधिक क्षति होती है। एक उत्तरदाता ने बताया कि पिछले वर्ष (2018) दिन के समय जब वह गौशाला के अन्दर जानवरों को चारा देने एवं गौशाला की सफाई करने गयी थीं उस समय आग ने चारों तरफ से उनकी गौशाला को घेर लिया। हादसे में उनकी गौशाला जल गयी, जानवर आग की लपटों से झुलसे और उन्हें भी चोटें आयीं। वनाग्नि के दौरान हर बार ऐसी घटनाएँ किसी न किसी के साथ घटती हैं। कुछ अन्य उत्तरदाताओं ने बताया कि जानवरों के लिये सूखी घास जिसे वे खरीदकर लाये थे, वह भी जल गयी। आग लगने से जंगल के जानवर झुलस कर मर जाते हैं और बचे हुए जानवर खाने की तलाश में घरों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसे भूखे जानवर अक्सर पालतू पशुओं को निवाला बनाते हैं और जब उन्हें खाने के लिए पशु भी नहीं मिलते तब वे मनुष्यों पर हमला करते हैं।

Figure 9
आग बुझाने की व्यवस्था

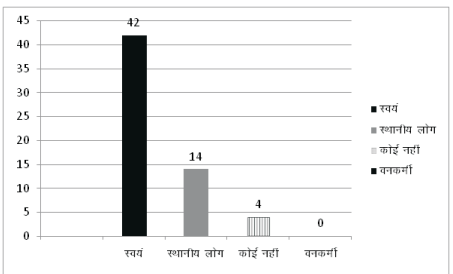

Fig 9 : उपरोक्त रेखाचित्र के माध्यम से लोगों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि जब आग जंगलों से होते हुए उनके घरों तक पहुँच जाती है तब उसे बुझाने अथवा फैलने से रोकने के लिए इस क्षेत्र में क्या व्यवस्था है। इसके उत्तर में 60 में से 42 (47%) लोगों ने कहा कि जब आग घरों के आसपास तक आना शुरु हो जाती है तब वे स्वयं आग बुझाते हैं। कई गाँवों में लोग इकलौते घरों में रहते हैं इसलिए घर के सदस्य मिलकर आग बुझाते हैं। 14 (23.33%) लोगों ने कहा कि स्थानीय आस–पड़ोस के लोग मिलकर आग बुझाते हैं। 4 (0.6%) लोगों का कहना है कि अगर आग उनके घरों तक नहीं पहुँचती है तो उसे कोई नहीं बुझाता। लगभग 4–5 महीनों तक जंगलों के आग में झुलसने की प्रक्रिया चलती रहती है उसके बाद बरसात का मौसम शुरु हो जाता है जिससे स्वयं आग बुझ जाती है। आग बुझाने के लिये कोई दमकल कर्मी या वनकर्मी कार्यरत नहीं है और न ही स्थानीय लोग जो अपनी जान पर खेलकर यह कार्य करते हैं उनके लिये कोई आर्थिक सहायता की ही व्यवस्था है।

स्थानीय सरकार का योगदान : स्थानीय सरकार के योगदान के बारे में सभी उत्तरदाताओं ने कहा कि वनाग्नि से निजात दिलाने के लिये आज तक किसी भी स्थानीय सरकार ने कोई काम नहीं किया। पिछले कुछ वर्षों में एक–दो बार सुनायी दिया कि स्थानीय सरकार के पास आग बुझाने वाले लोगों के लिये धनराशि आयी है लेकिन कुछ समय बाद यह भी सुनायी दिया कि उस धनराशि को दलाल निगल गए हैं। जिन लोगों ने मेहनत की उन लोगों का नाम तक किसी को पता नहीं है।

जंगल बचाने के लिये नीतियों सम्बन्धी सुझाव : उत्तरदाताओं के सुझाव इस प्रकार हैं –

1. प्रभावित लोगों को मुआवजा मिलना चाहिये।
2. पतरोल तैनात किये जाने चाहिए।
3. लोगों को यहीं रोजगार मिलना चाहिये ताकि बाहर न जाना पड़े।
4. आग लगाने वालों की पहचान करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिये।
5. स्थानीय लोगों को बारी–बारी से आग बुझाने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

संकलित तथ्यों एवं स्थितियों के विश्लेषण के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि इस क्षेत्र में वनाग्नि का जो सबसे प्रमुख कारण है वह है – चीड़ के वन। और यह न केवल इस क्षेत्र की ही समस्या है बल्कि जिले एवं पूरे राज्य की समस्या है। वनाग्नि का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वह है –इस क्षेत्र में वन–रक्षकों का तैनात न होना। वनाग्नि का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है – पलायन। पुराने समय में यदि जंगलों में आग लग जाती थी तब गाँव के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर उसे फैलने से रोक देते थे जिससे बड़ा क्षेत्र उसके प्रभाव से बच जाता था। अब गाँव के गाँव खाली हो गए हैं, आग बुझाने वाला कोई नहीं है। घरों के आसपास तक सूखी झाड़ियाँ फैली हैं। ऐसे में घरों का इसकी चपेट में आना स्वाभाविक है। कुछ आलोचक तो यह भी आरोप लगाते हैं कि वन विभाग अपनी नाकामियों को छिपाने के लिये स्वयं आग लगाता है ताकि वनों को हरा–भरा बनाए रखने की उस पर जो जिम्मेदारी है उससे बचा जा सके।

जहाँ तक जंगलों के रखरखाव के सन्दर्भ में कैहड़गाँव ग्राम पंचायत के स्थानीय लोगों, महिलाओं एवं स्थानीय सरकार की सहभागिता के विश्लेषण का प्रश्न है तो चूँकि यह क्षेत्र ही जंगल के बहुत करीब बसा है इसलिए न चाहते हुए भी लोग इससे प्रभावित होते हैं। पशुपालन अब लोगों की आवश्यकता से अधिक एक दस्तूर रह गया है। घास और लकड़ियों के लिये भी जंगलों पर निर्भरता पहले की तुलना में बहुत कम हो गयी है। इसके अतिरिक्त जंगलों का लोगों के लिये अन्य कोई उपयोग नहीं है। न उन्हें जंगलों में उगने वाली किसी औषधि का ज्ञान है और न वे जैव–विविधता के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में कोई जानकारी रखते हैं। इसलिए जंगलों से उनका भावनात्मक जुड़ाव देखने को नहीं मिलता। वनाग्नि के परिणामों से महिलाएँ सर्वाधिक प्रभावित होती हैं क्योंकि पलायन से प्रभावित क्षेत्र में उनकी ही थोड़ी–बहुत जनसंख्या मौजूद है। स्थानीय सरकारों की इस सन्दर्भ में भूमिका नगण्य रही है। किसी भी सरकार ने जंगल के रखरखाव एवं बचाव के लिए अब तक कोई नीति नहीं बनायी। इसका एक कारण यह भी मालूम पड़ता है कि स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को सामूहिक रुप से कभी स्थानीय सरकार के समक्ष नहीं रखा।

सुझाव

समस्या के विश्लेषण के आधार पर कैहड़गाँव ग्राम पंचायत क्षेत्र के जंगलों के रखरखाव के सन्दर्भ में निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं –

- ➢ पलायन को रोकने के लिये नीतियाँ बनायी जाएँ। पलायन रुकेगा, हरे पेड़ पौंधे उगेंगे तो वनाग्नि का खतरा कम होगा।
- ➢ वनों की देखभाल एवं आग लगाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिये वन रक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- ➢ लोगों को वन एवं वन्य सम्पदा, जैव–विविधता एवं वनाग्नि के जलवायु पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों एवं तापवृद्धि के बारे में जागरुक किया जाना चाहिए।
- ➢ लोगों को जंगल में उगने वाली औषधीय जड़ी–बूटियों की पहचान करायी जानी चाहिए और ऐसी जड़ी–बूटियों को उगाने के लिये प्रेरित करना चाहिए।
- ➢ चूँकि चीड़ के पेड़ों को पर्यावरण के लिये उतना फायदेमंद नहीं माना जाता है इसलिए जंगलों में अन्य पेड़ पौंधे भी लगाए जाने चाहिए।
- ➢ पौंधारोपण, औषधीय जड़ी–बूटियों का उत्पादन स्थानीय लोगों के लिये रोजगार का माध्यम भी बन सकता है

इसलिए इस सम्बन्ध में नीतियाँ बनायी जानी चाहिए।

- ➢ जंगलों की देखभाल के लिये स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए यदि स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझायी जाती है तो उनकी पहचान करके उन्हें उनके योगदान की राशि दी जानी चाहिये। साथ ही विशेष योगदान देने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए ताकि अन्य लोग भी इससे प्रेरित हों।
- ➢ अन्ततः किसी भी कार्य को करने के लिये धन की आवश्यकता होती है इसलिए राज्य सरकार द्वारा वनों की रक्षा के लिये स्थानीय लोगों एवं वन विभाग को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवायी जानी चाहिये।

सन्दर्भ सूची

1. Abhineet, J., Ravan, S.A., Singh, R.K., Das, K.K. and Roy, P.S. (1996). Forest fire risk modelling using remote sensing and geographic information system. Current science 70: 928-933.
2. Anita, K. (2001). Effect of forest fire on species diversity of Chir pine forest in mid hills of Himanchal Pradesh (Unpublished M.Sc. Thesis) University of Himanchal Pradesh.
3. Bahuguna, V.K. (1999). Forest fire prevention and central strategies in India. International forest fire news 20: 5-9.
4. Bargali, Himanshu (2018). Forest fire frequency in Nainital district of Uttarakhand state. Lap Lambert Academic Publishing.
5. Mishra, R. (1986). Ecology work book, Oxford and IBH publication, Calcutta.
6. Pant, D.N., K.K. Das and P.S. Roy (1996). Digital mapping of forest fire in Garhwal Himalaya using Indian remote sensing satellite. Indian forester 122(5): 390-395.
7. PTI. (2019, June 24). https://www.news18.com/news/India/forest-fire-serious-problem-in-hilly-areas-of-Uttarakhand-says-Supreme-Court-2201847.html.
8. Raghava, R.P. and Nisha, Raghava (1995). Shifting agriculture and forest fire: Central measures in India. Advances in Horticulture and Forestry 5:159-168.
9. Sharma, Neeraj and Y.A. Hussain (1996). Forest fire modeliing using remote sensing and GIS: A case study from North East University of Joensuu, Research Note 48, 185-192.
10. Srivastava, R.K. (1999). Forest fire and its prevention by generating awareness in the rural masses. Internation Forest Fire News 21, 36-47.
11. Singh, R. and V. Thakur (2008). Effect of forest fire on trees, shrubs and regeneration behaviour in Chir pine forest in northen aspects under Solen forest division, Himanchal Pradesh, Indian Journal of Forestry 31(1) : 19-27
12. Sinha, Shishir (2019, July 30). https://www.thehindubusinessline.com/news/national/himalayan-state-seek-green-bonus-dedicated-central-ministry/article 28738314.ece.
13. Staff, DTE (2018, May21). https://www.downtoearth.org.in/news/forest/fire-continues-to-rage-in-uttarakhand-forest-locals-complain-of-govt-inaction-60593.
14. खण्डूरी, राकेश (2019, July 23). https://www.amarujala.com/dehradun/uttarakhand-want-green-bonus.
15. रावत, मनोज (2012, April 03). mRrjk[k.M taxy dh vkx% dbZ loky] dbZ vkjksi- https://hindi.indiawaterportal.org/node/38283.